न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 4/2019 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. खातुराम पिता चंदिया जी भील, निवासी ग्राम रेल, तह0 छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा
2. चतुरसिंह पिता चंदिया जी भील, निवासी ग्राम रेल, तह0 छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा
3. कमलाशंकर पिता चंदिया जी भील, नि0 ग्राम रेल, तह0 छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा
4. छगनलाल पिता चंदिया जी भील, नि0 ग्राम रेल, तह0 छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा
5. लिमजी पिता रूपा जी भील, निवासी ग्राम रेल, तह0 छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा
6. कन्हैयालाल पिता रूपा जी भील, निवासी ग्राम रेल, तह0 छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा
7. गांगजी पिता रूपा जी भील, निवासी ग्राम रेल, तह0 छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा
8. श्रीमती अलकु पत्नी रूपा जी भील, नि0 ग्राम रेल, तह0 छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. देवा पिता जलिया जी भील, निवासी ग्राम रेल, तह0 छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा
2. रूपा पिता जीवा जी भील, निवासी ग्राम रेल, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा
3. राजिया पिता नानीया जी भील, निवासी ग्राम रेल, तह0 छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा
4. जीवणा पिता नानीया जी भील, निवासी ग्राम रेल, तह0 छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा
5. नारायण पिता रंगजी जी भील, निवासी ग्राम रेल, तह0 छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा
6. किशन पिता रंगजी जी भील, निवासी ग्राम रेल, तह0 छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा
7. मगनलाल पिता रंगजी जी भील, निवासी ग्राम रेल, तह0 छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा
8. सुनिल पिता रंगजी जी भील, निवासी ग्राम रेल, तह0 छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा
9. श्रीमती हुकी बेवा रंगजी जी भील, नि0 ग्राम रेल, तह0 छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा
10. तहसीलदार, छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, छोटी सरवन प्रकरण संख्या 31/2015 दिनांक 21.01.2019

———/———

उपस्थित (वक्त बहस)
1. श्री निखिल मालोत/एन.एल. मईड़ा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री यशपाल गुप्ता/एस.एल. निनामा अभिभाषक रे. सं. 1 से 9
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10

———:::———

निर्णय **दिनांक 30–11–2022**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन कि[illegible] वादीगण मूलपुरूष पुंजिया के वारिसान हैं, जिनकी वंशावली वाद पत्र की [illegible] संख्या 1 अनुसार है, जिसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:15:44 IST
Reason: SelfAttested

सेटलमेन्टी खाता संख्या 2 सर्वे नंबर 188 रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम रेल में स्थित है, किन्तु जीवला, नानीया, देवा पिता जालिया ने राजस्व कर्मियों से मिलकर नामान्तरकरण संख्या 11 दिनांक 17–07–1962 यह बताकर कि खातेदार पुंजिया 8–9 साल से फोत हो गया है तथा लड़का चंदिया जो मुन्दरी रह रहा है, खाते का कब्जा जीवला वगैरह का है, अपना नाम नामान्तकरण में दर्ज करवा लिया तथा बाद में भू–प्रबन्ध के दौरान नये नंबर बने, जिसमें जीवला, नानीया व देवा में बंटवारा किया गया, जिससे खाते में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हो गया, जिसे निरस्त कराकर वादीगण खातेदारी घोषणा के अधिकारी हैं। अतः वादीगण को वादग्रस्त आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 11 दिनांक 17–07–1962 अवैध व शून्य घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण कानूनन खोला गया है व मौके पर प्रतिवादीगण के मकान व कुंए हैं तथा वे काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। उक्त भूमि न्युक्लियर पॉवर प्लांट में आने वाली भूमि अवाप्त होने से प्रतिवादीगण खातेदार होने से मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में 6 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 9 अभिभाषक श्री यशपाल गुप्ता एवं श्री एस.एल. निनामा उपस्थित है तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 से 7 का पूर्व विवेचन नहीं किया है। रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के पक्ष में जारी कर दी, जो त्रुटि पूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकियों का सही विवेचन नहीं किया है तथा अपीलान्ट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों पर कोई विचार नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने मुआवजे के बारे में भी कोई विवेचन नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:15:44 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें **RRT 2011 (2) Page 721, RRT 2011 (1) Page 171, RRT 2013 (1) Page 226, RRT 2014 (1) Page 624** प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए विवादित आराजी पर संवत् 2012 से पूर्व 60–65 वर्षो से भी अधिक पुराना कब्जा प्रतिवादीगण का माना है, जो प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों से स्पष्ट है तथा मौका रिपोर्ट में भी कब्जा प्रतिवादीगण का ही बताया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में यह भी माना है कि प्रतिवादीगण का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा होने से तहसीलदार द्वारा जो नामान्तरकरण संख्या 11 दिनांक 17–07–1962 को खोला गया है वह विधि अनुकूल है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को तनकीवार विवेचन करते हुए जो निर्णय पारित किया है, वह विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस सम्बन्ध में जो न्यायिक नजीरें विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी है, उनका हमने अध्ययन किया, किन्तु उक्त न्यायिक नजीरें वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से लागू नहीं होती हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–01–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:15:44 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **अनीता मीना, आर.ए.एस.** .....

खातुराम पिता चंदिया भील, निवासी ग्राम रेल, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा व अन्य	बनाम	**देवा पिता जालिया भील, निवासी ग्राम रेल, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**4 / 2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**छोटी सरवन**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....21**.....माह.....**01**.....**2019**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**30**...माह.....**.11**.....सन् **2022** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी..**निखिल मालोत/एन.एल. मईड़ा**..मिनजानिब अपीलान्ट व..**यशपाल गुप्ता/एस.एल. निनामा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–01–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**30**.....माह.....**.11**.....**2022** को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:15:44 IST
Reason: SelfAttested